

फर्प अहकाम
(नियम 26)


आज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (भीलवाडा)

भैरू पिता भवना जाति बलाई निवासी आणन्द

बनाम

शमलाल पिता रुपा जाति गूजर निवासी लाडी जी का खेडा वगैरा

किरण मुकदमा प्र10 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 6/2/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इतिहास अथवा	नंबर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई
14.06.2023	<p>प्रार्थना पत्र शिगे से वाद जीव रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिमापक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम लाडी जी का खेडा पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आसजी नम्बर 68/16 कुल कित्ता 01 एकबा 1.7280 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आसजी के पडोसी हैं। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी कराया जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आसजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाये। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिमापक/प्रार्थी की एक पक्षीय कहरा सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है। अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम लाडी जी का खेडा पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आसजी नम्बर 68/16 कुल कित्ता 01 एकबा 1.7280 हैक्टेयर की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उन्में से 100 रु. राजकोष में जमा करवावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जाये। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p align="right">आदेश आज दिनांक 14-06-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

क्रमांक / रीडर / 2023 / 613/2023

दिनांक :- 14.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र. सं 613/23 अनवान भैरु पिता भवाना जाति बलाई निवासी आमल्दा तह. जहाजपुर
बनाम्, रामलाल पिता रूपा गूर्जर, मधुरा पिता मगना गूर्जर, शंकर पिता हरजी भीणा
धनराज पिता हरजी भीणा, रामेश्वर पिता हरजी भीणा, उदालाल पिता हरजी भीणा नारायण
पिता हांकना जाति भीणा आयु बालिंग निवासीयान लाडी जी का खेडा तहसील
जहाजपुर जिला भीलवाडा राजस्थान

पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम लाडी जी का खेडा पटवार हल्का
ननोहरपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 68/16 कुल किता 01 रकबा 1.
7280 हैक्टेयर मुनि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक
अनारगढ को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी
मौके पर जवा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी
पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना- पत्र पेश कर सादर निवेदन है कि :-

यह है कि ग्राम - लाडी जी का खेडा पटवार हल्का